

FORM NO. III

फर्दअहकाम

(नियम- 26)

अज अदालतसहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी),सिवाना

वादी सुजानसिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपूत निवासी रानीदेशीपुरा तहसील समदड़ी	बनाम प्रतिवादीगण 1. अशोकसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत निवासी रानीदेशीपुरा तहसील समदड़ी वगैरा (16) 17 शाखा प्रबंधक राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा समदड़ी 18 शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा समदड़ी 19 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार समदड़ी
---	--

किस्म मुकदमा.....धारा 53,188 RT Act.

मु0नं0 25/2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
10.04.2023	वादी सुजानसिंह की ओर से यह वाद पत्र वकील श्री नरपतसिंह भाटी द्वारा प्रतिवादीगण अशोकसिंह वगैरा के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 53,188 RT Act. के तहत प्रस्तुत किया, जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 12.05.2023 को पेश हो। 3 (दिनेश विश्वासी) सहायक कलक्टर (SDO) सिवाना	
12.05.23	पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी महोदय प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान मुहल्ला से बाहर है। अतः इलवा होकर पत्रावली दिनांक 14.08.23 को पेश हो। Prison	
14.08.23	पत्रावली अज पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य में व्यवस्ते है। इन्त्या होकर पत्रावली दिनांक.....09-10-23 को पेश हो। 293	
09.10.23	पत्रावली अज पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य में व्यवस्ते है। इन्त्या होकर पत्रावली दिनांक.....11.01.24 को पेश हो। 24	
11-01-24	पत्रावली पेश हुई। वादी के वकील उपस्थित। वे प्रकरण में 'नोट-प्रेस' करते हैं। अतः वादी का वाद अदम पेंचवी में खारिज ठिचा जाता है। पत्रावली जेलर कुमार केक दायिल दफ्तर से। 3	

सहायक कलक्टर

(S.D.O) सिवाना

